12.11.25

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने मुलाकिन सीमाज्ञान मउजार पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। अपरार्थी गण मुलाजमत व पावदूर वाकिल इत्तला के उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर ग्रामीण-पथ पत्थरगढ़ी अ.-धारा 111, 128 भू० राजस्व अधि० 1956 का स्वीकार किया जाकर मुलाकिन सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2025 के मउजार ग्राम गोचर का कब्जा तन नारी पश्चात ह० नारी के भूमि ख०नं० 217 रकबा 0.14 है. व ख०नं० 645/222 रकबा 0.36 है. रास्ते का निर्माणार्थ मुक्त किया जाकर सीमा चिन्ह आपस कर अन्य किसी व्यक्ति का स्वगत अधिग्रहण हो तो पत्थरगढ़ी कस्बे आदि। मउजार नक्शे चिड़ावा में पाबन्द हेतु तदबीर गाये की पत्रावली मौजा मुमाह लिकर नकल के कब्जा हेतु दाखिल दफ्तर है।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज.)